Helpline 1064 94135-02834

कार्यालय महानिदेशक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो

(जनसम्पर्क प्रकोष्ठ)

प्रेस नोट

- **दौसा में डिस्कॉम का टैक्नीशियन–द्वितीय (लाईनमैन) 5 हजार रुपये रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार**
- **आवास एवं अन्य ठिकानों पर तलाशी जारी**

जयपुर, *15 सितम्बर, शुक्रवार।* ए.सी.बी. मुख्यालय के निर्देश पर दौसा इकाई द्वारा आज कार्यवाही करते हुये लोकेश जांगिड़ टैक्नीशियन–द्वितीय (लाईनमैन) कार्यालय सहायक अभियंता, जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड़, लालसोट, जिला दौसा को परिवादी से 5 **हजार रूपये** की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है।

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के महानिदेशक (अतिरिक्त चार्ज) श्री हेमन्त प्रियदर्शी ने बताया कि ए.सी.बी. की दौसा इकाई को परिवादी द्वारा शिकायत दी गई कि उसके घरेलू कनेक्शन की डी.पी. को ट्रांसफर करने की एवज में लोकेश जांगिड़ टैक्नीशियन–द्वितीय (लाईनमैन) कार्यालय सहायक अभियंता, जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड़, लालसोट, जिला दौसा द्वारा 11 **हजार रूपये** रिश्वत राशि की मांग कर परेशान किया जा रहा है।

जिस पर एसीबी, भरतपुर के **उप महानिरीक्षक पुलिस श्री कालूराम रावत** के निर्देशन में एसीबी की दौसा इकाई के **अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री महेन्द्र कुमार शर्मा** द्वारा शिकायत का सत्यापन किया जाकर आज **पुलिस निरीक्षक श्री नवल किशोर** द्वारा मय टीम ट्रेप कार्यवाही करते हुये लोकेश जांगिड़ पुत्र श्री रामजीलाल निवासी ग्राम गोल्या, तहसील लालसोट, जिला दौसा हाल टैक्नीशियन–द्वितीय (लाईनमैन) कार्यालय सहायक अभियंता, जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड़, लालसोट, जिला दौसा को परिवादी से 5 **हजार रूपये** की रिश्वत राशि लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया है। उल्लेखनीय है कि आरोपी टैक्नीशियन–द्वितीय (लाईनमैन) द्वारा शिकायत के सत्यापन के दौरान ही परिवादी से **6 हजार रूपये** की रिश्वत राशि वसूल कर ली थी।

एसीबी के उप महानिरीक्षक पुलिस श्री कालूराम रावत के निर्देशन में आरोपी से पूछताछ जारी है। एसीबी द्वारा मामले में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अन्तर्गत प्रकरण दर्ज कर अग्रिम अनुसंधान किया जायेगा।

एसीबी के अतिरिक्त महानिदेशक, श्री हेमन्त प्रियदर्शी ने समस्त प्रदेशवासियों से अपील की है कि भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की ***टोल–फ्री हैल्पलाईन नं.* 1064** *एवं* ***Whatsapp हैल्पलाईन नं.* 94135–02834** पर 24X7 सम्पर्क कर भ्रष्टाचार के विरूद्ध अभियान में अपना महत्वपूर्ण योगदान दें। **एसीबी आपके वैध कार्य को करवाने में पूरी मदद करेगी।** विदित रहे कि एसीबी राजस्थान राज्य में राज्य कर्मियों के साथ–साथ केन्द्र सरकार के कार्मिकों के विरूद्ध भी कार्यवाही करने को अधिकृत है।